पर्यटकों हेतु सूचना :

- भारत सरकार के प्राचीन संस्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 तद्नियम 1959 एवं संशोधित नियम जून 1992 के अनुसार किसी भी राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक/स्थल व उससे लगी सीमाओं से 100 मीटर के क्षेत्र को प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण/खनन की अनुमति नहीं दी जा सकती है तथा किया गया निर्माण अवैध एवं असंवैधानिक माना जायेगा। इससे परे 200 मीटर तक के क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया है, विनयमित क्षेत्र में भी निर्माण हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पूर्वानुमति आवश्यक है तथा बिना पूर्वानुमति के किया गया निर्माण/खनन अवैध माना जायेगा। प्रतिषिद्धएवं विनियमित क्षेत्र में वर्ष 1992 से पूर्व भवनों की मरम्मत हेतु भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पूर्वानुमति आवश्यक है।
- प्राचीन संस्मारक से तात्पर्य है कि कोई प्राचीन मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरूद्वारा, कब्रिस्तान, मकबरा, इमामबाड़ा, ईदगाह, हमाम, कर्बला, किला, प्राचीन कुएं, बावड़ी, ऐतिहासिक तालाब व घाट, महल, हवेली, धर्मशालाएं, प्राचीन द्वार, मानव निर्मित गुफाएं, स्तम्भ, उत्कीर्ण प्रतिमाएं, छतरियां, स्मृति स्मारक, स्तूप, विहार, उत्खनित स्थल, उत्कीर्ण लेख, प्राचीन पुल, वेधशाला, कोस मीनार, एकाश्मक तथा ऐसी संरचना जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है। "पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष" से तात्पर्य है कि कोई ऐसा प्राचीन टीला/क्षेत्र जिनमें ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के अवशेष होने की संभावना है।
- पुरावशेष से तात्पर्य है कि कम से कम एक सौ वर्ष प्राचीन कोई भी मानव निर्मित वस्तु जैसे प्राचीन सिक्के, अस्त्र-शस्त्र, प्रतिमाएं, पुराभिलेख, चित्रकारी, कलात्मक शिल्पकारी, ताम्रपत्र आदि। पाण्डुलिपियां जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक तथा कलात्मक महत्व की हों तथा कम से कम 75 वर्षों से अधिक प्राचीन हों।
- स्मारक और उद्यान सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला है।
- स्मारक की दीवारों पर अपना नाम न लिखें।
- फिल्मांकन हेतु अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जयपुर मण्डल से रू. 5000/– प्रतिदिन प्रति स्मारक के शुल्क पर अनुमति प्राप्त की जा सकती है।
- वीडियोग्राफी शुल्क रू 25/– स्मारक है।

प्रकाशन

अधीक्षण पुरातत्वविद्

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

70/133.140, पटेल मार्ग, "कैलाश" मानसरोवर, जयपुर-302020

टेलीफैक्स : 0141-2396523 ई-मेल : circlejai.asi@gmail.com

भटनेर दुर्ग

हनुमानगढ़

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

जयपुर मण्डल, जयपुर

2010

भूमिका

सन् 1861 में स्थापित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पुरातत्व, कला, स्थापत्य, अभिलेख, मुद्राशास्त्र एवं संग्रहालय के शोध तथा हमारे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, संपदा, स्मारक एवं स्थल के संरक्षण एवं परिरक्षण के लिए कार्यरत एक अग्रणी संस्था है। इस समय यह अपने 24 मंडलों तथा अन्य संबंधित शाखाओं के द्वारा देश के 3675 राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक एवं स्थल तथा 44 संग्रहालयों के देखरेख का कार्य संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कर रहा है।

सन् 1985 में राजस्थान के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकों एवं स्थलों के बेहतर संरक्षण एवं परिरक्षण के लिए तत्कालीन दिल्ली एवं बडौदा मंडलों को विभाजित कर जयपुर मंडल का गठन किया गया। इस मंडल के तहत सम्पूर्ण राजस्थान का क्षेत्र आता है, जिसके अन्तर्गत कुल 160 राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक एवं स्थल है।

विश्व विरासत दिवस

सन् 1972 में, संयुक्त राष्ट्र–शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन की महासभा द्वारा अत्यंत उत्साह के साथ एक संकल्प स्वीकृत किया गया था, जिसके फलस्वरूप विश्व के सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मंच के मुख्य

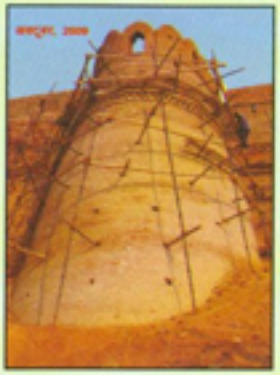

उद्देश्य हैं: विश्वदाय के सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों पहलुओं को परिभाषित करना; सदस्य देशों के उन स्थलों और स्मारकों की सूची तैयार करना जो विशेष रूचि के हैं और अपने सार्वभौमिक महत्व के कारण जिनका संरक्षण समस्त मानव जाति का कर्तव्य है; तथा सभी राष्ट्रों और वहां की जनता में सहयोग को बढावा देना, ताकि भावी पीढ़ियों के लिए सार्वभौमिक महत्व की बहुमूल्य धरोहरों का संरक्षण किया जा सके। भारत सन् 1977 से उक्त संस्था का सक्रिय सदस्य राष्ट्र है एवं इसके पास 22 सांस्कृतिक एवं 05 प्राकृतिक विश्वदाय स्थल है जबकि पुरे विश्व में विश्वदाय स्थलों की कुल संख्या 880 है।

संयुक्त राष्ट्र–शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन की अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद शाखा ने प्रतिवर्ष अप्रैल माह की 18 तारीख को विश्वदाय दिवस के रूप में मनाये जाने की घोषणा की है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस दिवस को मनाने और विश्वदाय स्मारकों के संरक्षण के संबंध में विभिन्न व्यवाहारिक उपायों को अपनाने के अलावा यह निर्णय लिया है कि प्रतिवर्ष 19 नवम्बर से विश्वदाय सप्ताह मनाया जाये।

कतिपय ऐसे स्मारक, जो न तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और न ही राज्य सरकारों के पुरातत्व विभाग के अधीन है और अब तक उपेक्षित रहे हैं उनके संरक्षण की भी महती आवश्यकता है। आम जनता का इन स्मारकों से भावनात्मक

लगाव है तथापि इनकी देखरेख के लिए पर्याप्त स्रोत एवं जनबल का अभाव है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जयपुर मंडल ने इस वर्ष, 18 अप्रैल 2010 को विश्वदाय दिवस भटनेर किला, हनुमानगढ़ में मनाने का निर्णय लिया है।

भटनेर दुर्ग

हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम भटनेर या भाटी राजपूतों की गढ़ी था। भटनेर का किला, जयपुर से 419 किलोमीटर उत्तर–पूर्व में पुराने मुल्तान–दिल्ली मार्ग पर हनुमानगढ (29°37′ उत्तरी अंक्षास एवं 74°20′ पूर्वी देशांतर) नामक स्थान पर स्थित है। इस महत्वपूर्ण दुर्ग को मुस्लिम इतिहासकारों ने बार–बार उद्धृत किया है। यह कहा जाता है कि गजनी से हारने के बाद राजा भूपत ने घग्घर नदी के किनारें जंगलों में शरण लिया था। वहाँ उसने एक सुरक्षित गढ़ी का निर्माण करवाया जिसे भटनेर के नाम से जाना गया। यह संपूर्ण दुर्ग पकी ईटों का बना है और 52 बीघा के क्षेत्रफल में विस्तृत है।

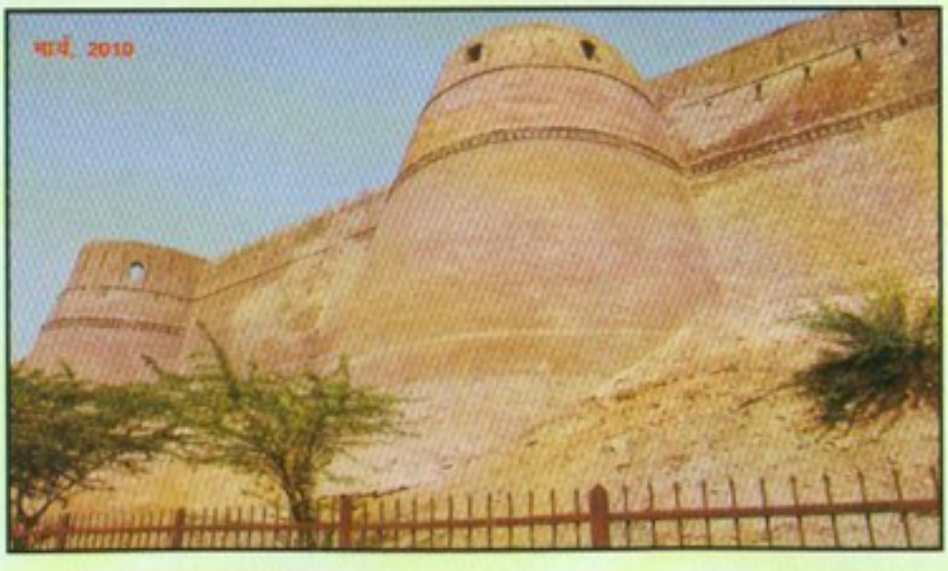

इसका आकार एक बड़े समानांतर चतुर्भुज के जैसा है जिसके प्रत्येक पार्श्व में बारह प्रक्षेपित बुर्ज हैं। यह दुर्ग एक प्राचीन आवासीय जमाव पर निर्मित है जहॉ से चित्रित धूसर (मृदभांड 1100–800 ईसा पूर्व) तथा रंगमहल मृदभांड (प्रथम–तृतीय शती ई.) परंपरा के पात्र खंड मिले है।

तेरहवीं शती ई. के मध्य में शेर खाँ, जो बलबन (दिल्ली का सुल्तान) का चचेरा भाई अथवा भतीजा था, इस क्षेत्र का गवर्नर था। सन् 1391 में भटनेर पर तैमूर का आधिपत्य हो गया। तत्पश्चात सन् 1527 तक इस पर क्रमशः भाट्टियों, जोहियाओं, तथा चायलों का अधिकार रहा। इसके पश्चात् चायल एवं बीकानेर रियासत के आधिपत्य के अतिरिक्त यह दो बार मुगलों के भी अधिकार में आया । अंततः सन् 1805 में यह किला बीकानेर रियासत के अधीन आ गया तथा राजस्थान राज्य के गठन तक उसी के प्रभुत्व में रहा।

यहाँ दिये गये चित्र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जयपुर मंडल द्वारा गत वित्तीय वर्ष में किए गये महत्वपूर्ण संरक्षण कार्यों को दर्शाते हैं।